न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चितौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –16/2024

क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज, रावतभाटा जरिये रेंजर नरेन्द्र विश्नोई कार्यालय रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौड़गढ़। ....वादी/प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
..................प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री भूपेन्द्र पुरोहित
अप्रार्थी:- पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक – 12.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि माननीय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के दिनांक 06.06.2003 के आदेश से पुर्नगठित जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले की 8.5 है0 वनभूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम एकलिंगपुरा (रावतभाटा) की राजकीय बिलानाम भूमि खाता नम्बर 471 रकबा 25.32 हैक्टेयर में से 8.5 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-92 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन-विभाग के पक्ष में आरक्षित (सेट-अपार्ट) किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उपरोक्त आदेश अनुसार इंतकाल नम्बर 424/17.07.2003 से आराजी नम्बर 471 में से रकबा 8.5 हैक्टेयर वन-विभाग के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया था। इंतकाल तस्दीक होने के पश्चात जमाबन्दी सम्वत् 2064-2064 (आधार वर्ष) खाता 01 ग्राम एकलिंगपुरा प0ह0 एकलिंगपुरा की जमाबन्दी तैयार करते समय वन-विभाग का रकबा खसरा संख्या 674/769 हिस्सा 8.05 हैक्टेयर बीड़ दर्ज किया गया जबकि नामान्तरण व आदेश अनुसार सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 8.50 हैक्टेयर था। डाटा कम्यूटर में चढ़ाते समय भूलवश रकबा 0.45 हैक्टेयर कम कर दिया गया। राजस्व रिकॉर्ड में वन-विभाग का रकबा 0.45 हैक्टेयर जो कम हो गया है उसकी पूर्ति की जाकर खसरा संख्या 674/769 का रकबा 8.50 हैक्टेयर किया जाने हेतु वाद/प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वन-विभाग एकलिंगपुरा की खसरा संख्या 674/769 का रकबा 8.05 हैक्टेयर को दुरस्ती किया जाकर 8.50 हैक्टेयर किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसी अनुरूप तहसीलदार जी रावतभाटा को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा व प0ह0 एकलिंगपुरा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार माननीय जिला कलक्टर महोदय चितौड़गढ़ के आदेश क्रमाकं/राजस्व/वन/12-B(5)02/531 दिनांक 06 जून 2003 से पुर्गगठित जलदाय योजना [illegible] चितौड़गढ़ जिले की 8.5है0 वनभूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम एकलिंगपुरा (रावतभाटा) की [illegible]कीय [illegible]नाम भूमि आराजी संख्या 471 रकबा 25.32है0 में से 8.50है0 भूमि वन-विभाग के पक्ष में [illegible] (सेट-अपार्ट) किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उपरोक्त आदेश की पालना में [illegible] एकलिंगपुरा प0ह0 एकलिंगपुरा के नामान्तकरण संख्या 424 निर्णय दिनांक 17.07.2003 से आराजी संख्या 471 में से रकबा 8.50[illegible] भूमि वन विभाग के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। नामान्तर[illegible] प्रमाणित होने के पश्चात जमाबंदी संवत् 2055-58 के खाता संख्या 01 में उक्त आराजी संख्या 471 मी. में से रकबा 8.50है0 भूमि वन विभाग को आरक्षित करने का दाखिला लगाया गया परन्तु नवीन भू-प्रबन्ध रिकार्ड में उक्त नामान्तरकरण के अमल करने हेतु तैयार की गई सूची में क्रम संख्या 05 में सहवन से रकबा 8.50है0 के बजाय 8.05है0 दर्ज होने से आधार वर्ष जमाबंदी सम्वत् 2064-67 में उक्त सूची का नोट "आराजी संख्या 674/769 रकबा 8.05है0 भूमि वन विभाग के नाम अंकन की मंजूरी" का नोट

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.05 16:08:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

लगाया गया। जो वर्तमान जमाबंदी में भी 8.05है0 ही चला आ रहा है। रिकार्ड की प्रतियां सलंग्न है। नवीन भू-प्रबंध रिकार्ड में उक्त नामान्तरकरण के अमल के दौरान राजस्व रिकार्ड में वन विभाग को आरक्षित भूमि का 0.45है0 रकबा कम दर्ज किया गया। अन्य बिन्दू पर भार प्रार्थी स्वयं का व कानूनी है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि तहसीलदार रावतभाटा व प0ह0 रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी संख्या 471 मी. मे से रकबा 8.50है0 वन विभाग के नाम आरक्षित करने का दाखिला लगाने के पश्चात सूची में क्रम संख्या 05 में सहवन से रकबा 8.50 है0 के बजाय 8.05है0 दर्ज होने से आधार वर्ष 2064-67 में उक्त सूची का नोट आराजी संख्या 674/769 रकबा 8.05है0 भूमि वन विभाग के नाम अंकन की मंजूरी का नोट लगाया गया जो रकबा 8.05है0 ही चला आ रहा है, इसलिए वन विभाग को आरक्षित भूमि का 0.45है0 रकबा कम दर्ज की गई भूमि को दुरूस्त कर प्रार्थी वन विभाग के नाम करने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार रावतभाटा रिपोर्ट अनुसार सहवन से कम किये गये रकबे 0.45है0 को प्रार्थी वन विभाग के नाम इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम एकलिंगपुरा प0ह0 एकलिंगपुरा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 आराजी संख्या 674/769 रकबा 8.05है0 भूमि में तहसीलदार रावतभाटा की सलंग्न रिपोर्ट अनुसार सहवन से कम हुए रकबे 0.45है0 भूमि का इन्द्राज दुरूस्ती कर 8.05है0 के बजाय 8.50है0 भूमि प्रार्थी वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.05 16:08:24 IST
Reason: SelfAttested